सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 01, गुरूवार, *शाके* 1947- मई 22, 2025
Jyaistha 01, Thursday, Saka 1947- May 22, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मई 21, 2025

संख्या एफ.15(33) परावि/विधि/नगरपालिका गठन/22/ईफाईल-00822/15437373:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 1341 दिनांक 31.5.2022 के द्वारा नवगठित नगर पालिका मारवाड जंक्शन,जिला पाली का गठन किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप उक्त नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र को विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1152 दिनांक 30.8.2022 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया गया था ।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 376 दिनांक 25.7.2023 के द्वारा उक्त नगर पालिका गठन से आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द एवं चवाडिया (पंचायत समिति मारवाड जंक्शन),जिला पालीका पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया था तथा विभागीय अधिसूचना राजकाज क्रमांक 8731815 दिनांक 29.7.2024 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द (पुनर्गठन पश्चात नाम नरसिंहपुरा) में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, नरसिंहपुरा(पंचायत समिति मारवाड जंक्शन) कोएवंपुनर्गठित ग्राम पंचायत चवाडिया में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चवाडिया(पंचायत समिति मारवाड जंक्शन),जिला पालीको प्रशासक नियुक्त किया गया था ।

उक्त के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिसन संख्या 13422/2024 मुमल कंवर बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अन्तर्गतविभागीय अधिसूचना दिनांक 29.7.2024 को अपास्त किया गया है, जिसकी अनुपालना में विभागीय अधिसूचना राजकाज क्रमांक 8731815 दिनांक 29.7.2024 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।